उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : होम मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि अगर आप अभी डिस्कशन करना चाहते हैं तो

The Home Minister has already said that he is ready.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL : One minute, Sir.

SHRI JAGESH DESAI : Sir, I want to raise a point of order.

SHRI S. B. CHAVAN : It will not be a healthy precedent. I have no objection if this Bill is taken up for introduction tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Before we take up the *legislative business, there are certain matters* which Members wanted to raise during Zero Hour. I request Mr. Ahluwalia to speak.

RE VERMA COMMISSION REPORT

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था मेरे पास स्वर्गीय राजीव गांधी की सुरक्षा से आधारभूत ढंग से एस.पी.जी. को हटाये जाने तथा दूसरी समुचित वैकल्पिक सुरक्षा के प्रबन्ध न किये जाने के लिए भर्त्सना करने के लिए शब्द नहीं हैं । उसकी जितने कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए वह कम है । उपसभाध्यक्ष महोदय, जस्टिस वर्मा ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 9.14 में, जो उन्होंने 23 दिसम्बर, 92 को इस सदन में पेश की है, उसमें साफ शब्दों में लिखा है : इंटेलिजेन्स ब्यूरो तथा राजीव जी की सुरक्षा के संबंध में अन्य विभागों द्वारा बारम्बार उस समय के प्रधान मंत्री तथा उस समय की सरकार का ध्यान उनकी विशेष सुरक्षा की ओर आकर्षित किया गया था जिसके कारण सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया था जिसकी सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया था कि राजीव जी को संभावित खतरे की पुनः समीक्षा जब तक नहीं कर ली जाती तब तक एस.पी.जी. की सुविधा वापस नहीं ली जाएगी । परन्तु राजीव जी की संभावित खतरे की पुनः समीक्षा किये बिना उस समय 30 जनवरी 1990 को उनकी एस.पी.जी. की सुविधा विघटन कर ली गई । इत्तफाक से वह महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस भी था जिस दिन महात्मा गांधी शहीद हुए थे, वह दिन जिस दिन राजीव जी की सुविधा वापस ली गई और इस एक्ट को वर्मा कमीशन ने अपने पैरा 16.19 में कहा है कि यह एक अजीब तरीके का निर्णय है जिसको ट्रेनुअस की संज्ञा दी गई है . . . **(व्यवधान)**

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh) : Has it been accepted ?

SHRI S. S. AHLUWALIA : Just a minute. Let me finish...(Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : It has been placed on the Table of the House...(Interruptions)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : इस निर्णय के लिए कारण यह दिया गया कि एस.पी.जी. एक्ट पूर्व प्रधान मंत्री पर लागू नहीं होता है। ऐसी दशा में वी. पी. सरकार उक्त अधिनियम में संशोधन कर सकती थी और यह कोई संविधान संशोधन या धन विधेयक वाला विधेयक तो था नहीं । वी. पी. सरकार ने अध्यादेश द्वारा भी ऐसा नहीं किया । पर जिस वक्त राजीव गांधी की हत्या हुई उसके बाद जब इस सरकार ने एक फैसला लिया कि पूर्व प्रधान मंत्री को भी एस.पी.जी. की सुविधा दी जाय । सदन को ज्ञात होगा, मैंने इस संबंध में एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसके रिस्पोन्स में चूंकि हमारी सरकार को तुरन्त मंशा थी कि एस.पी.जी. की सुविधा पूर्व प्रधान मंत्रियों को भी दी जाय, तुरन्त उस पर कार्यवाही की गई और उसमें संशोधन लाकर हमने दो पूर्व प्रधान मंत्रियों को और सोनिया जी को यह सुविधा दी । जब पहले यह सुविधा हटाई गई थी तो उसके पीछे कोई सुझबूझ से लिया गया निर्णय नहीं था । जब भी इसका फैसला करने के लिए बैठक की गई तो खुफिया विभाग की रिपोर्ट को नजरअन्दाज किया गया । खुफिया विभाग ने बार-बार यह कहा कि जब तक इसकी पूरी समीक्षा नहीं की जाती तब तक यह सुविधा न हटाई जाय . . . **(व्यवधान)**

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (Nominated) : Sir, on a point of order. I would like to know whether

the Verma Commission Report has been accepted... (*Interruptions*)...

SHRI S. S. AHLUWALIA : It has already been laid on the Table of the House and so, I am raising this... (*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : Sir, I am on a point of order ... (*Interruptions*)... This Report has been laid on the Table of the House. But has it been accepted by the Government ? ... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Let Mr. Ahluwalia complete his point... (*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : My point is whether it has, been accepted or it is to be accepted yet ... (*Interruptions*)...

SHRI S. S. AHLUWALIA : It has already been laid on the Table and I have the full right to discuss it... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Let Mr. Ahluwalia complete what he wanted to say, please... (*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, Mr. Ahluwalia is raising the issue only to call the attention of the Government to it... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Mr. Ahluwalia, please conclude now... (*Interruptions*)...

SHRI P. SHIV SHANKER (Gujarat) : Sir, when a Report is laid on the Table of the House, the action taken thereon also has to be reported. In December, this Report was laid on the Table of the house. I still remember that the Home Minister had said that they had accepted that Report. It is in that light that he is making the statement.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN) : Not only that. The Report on Action Taken has also been laid on the Table... (*Interruptions*)...

SHRI P. SHIV SHANKER : Exactly.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat) : Sir, Mrs. Margaret Alva had said that it was accepted partly and it was on the last day of the Session that the Report was laid and we were not given an opportunity. I demand a full-fledged discussion on that Report... (*Interruptions*)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : Sir, I have been mentioned here as having said that the Report has been partly accepted and partly not. I wish to clarify it.

On the floor of this House, Sir, a clarification was asked whether the Government had accepted all the recommendations and findings of the Verma Commission. I was very clear. I said, I cannot off-hand say that everything has been accepted or everything has been implemented. The Action Taken Report was laid on the Table of the House. I was asked to refer to it and say on which sections what has been done. I said, I am not prepared to make an off-hand commitment that every single thing has been followed up or done. That is all I said.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI : You are supposed to come back to the House and say what has been accepted..... (*Interruptions*)

SHRIMATI MARGARET ALVA : It is laid on the Table of the House. It is on the record of the House.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra) : Sir, I am on a point of order. (*Interruptions*) The Report has been placed on the Table of the House and the Government has clearly said that this Report has been accepted. So, while making the comments, the hon. Members must study what has been stated in the Report. Otherwise, they should not waste the time of the House. That is my point of order. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Mr. Ahluwalia, please try to conclude now.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, राजीव जी की सुरक्षा के लिये एस.पी.जी. को जानबूझकर हटाने के निर्णय के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था उनके लिये की गयी उसके बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बार-बार

उस टाइम की सरकार को सचेत किया कि वे प्रधानमंत्री के पद से हट गये हैं लेकिन उनको खतरा कम नहीं हुआ है और उनकी जान को खतरा उतना ही बना है । हमने जो उनकी सुरक्षा विदड्रा की है वह किसी वक्त भी घातक हो सकती है । लेकिन उस सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंगी । उस वक्त हम लोगों ने सदन में भी और बाहर भी इसके लिये आवाज उठायी । किन्तु सरकार ने कोई फैसला नहीं किया । उपसभाध्यक्ष महोदय, 21 मई को उनकी हत्या हुई और 20 मई, 1991 को खुफिया विभाग ने उस वक्त की सरकार को लिखा कि उनको एस.पी.जी. नहीं तो एन.एस.जी. दी जाये, एन.एस.जी. का प्रोटेक्शन दिया जाय । लेकिन उस वक्त की सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । इन चीजों को देखते हुए मेरे जेहन में कुछ सवाल उठते हैं और उन सवालों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

न्यायमूर्ति वर्मा के इस कथन पर कि राजीव गांधी जी की जान पर खतरा उनके प्रधानमंत्री न रहने के पश्चात् भी बराबर बना हुआ है, अगर सरकार इससे सहमत है तो सरकार इसके बारे में क्या जवाब देती और वर्मा कमीशन ने जो लिखा है उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

क्या वी. पी. सरकार ने 4 दिसम्बर, 1989 को जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद से हट चुके थे तो क्या उन्होंने यह निर्णय नहीं लिया था कि राजीव गांधी जी को तब तक एस. पी. जी. की सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी जब तक उनकी सुरक्षा की पूर्ण समीक्षा नहीं करा ली जाती ? अगर यह सच है तो उस वक्त के जो आफिसर या जो मंत्री थे, जो इस विभाग को देख रहे थे, या प्रधान मंत्री तक जो विचार गया था और जस्टिज वर्मा ने जो भी अपने विचार रखे हैं, उसके अनुसार इन मंत्रियों के खिलाफ, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री और उस वक्त के आफीसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार करने जा रही है ? क्या इसकी कोई समीक्षा की गई थी जिसके आधार पर उनकी एस. पी. जी. की सुविधा हटायी गयी थी ? इसकी क्या कोई ऐसी समीक्षा की गयी थी और अगर वर्मा कमीशन की सारी रिपोर्ट पढ़ी गयी तो इसमें किसको इसके लिये जिम्मेदार ठहराया गया है, इसमें घड़ी की सुई किसकी तरफ जाती है ? इस पर कार्यवाही करने की जरूरत है। उपसभाध्यक्ष महोदय . . .

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, ...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Mrs. Satya Bahin, please sit down. Your Member is speaking. Please sit down.

(*Interruptions*)

श्री एस. एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार न्यायमूर्ति वर्मा कमीशन के इस कथन से सहमत है कि एस. पी. जी. कर्मियों की कमी का होना ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिसके कारण राजीव जी की सुरक्षा से एस.पी.जी. को हटाया गया । एस. पी.जी. एक्ट में संशोधन करने के बाद सरकार को अतिरिक्त एस.पी.जी. कर्मियों को जुटाने में कितना समय लगा ? दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा दी गयी, सोनिया गांधी को सुरक्षा दी गयी । सरकार इसको स्पष्ट करे । क्या सरकार न्यायमूर्ति वर्मा के इस कथन से सहमत है कि तत्कालीन सरकार का 30 जनवरी, 1990 का निर्णय अदूरदर्शी और अविवेकपूर्ण था, भावना रहित और इच्छा शक्ति विहीन थी, अविवेकपूर्ण था, अन्यायपूर्ण था . . . **(व्यवधान)** . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : You have made your points.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : राजीव जी की सुरक्षा के संदर्भ में ठीक नहीं था, यदि नहीं तो सरकार ने अब तक वास्तविक दोषियों को बेनकाब करने हेतु, दंडित करने हेतु क्या कार्य किये हैं ? मैं मांग करता हूं कि जस्टिस वर्मा कमीशन . . . **(व्यवधान)** . . . की रिपोर्ट के आधार पर उस वक्त के मंत्रियों के खिलाफ, आफीसरों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और यह सरकार रिस्पांस करे । यह जो दोषी कटघरे में खड़े हैं इन्होंने राजीव जी की हत्या करवाई है यह बात जस्टिस वर्मा कमीशन की इस रिपोर्ट से साबित होती है कि उस वक्त राजीव गांधी की हत्या का

षड्यंत्र किया गया और इस देश के एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री को खत्म करने की कोशिश की गयी । इस पर सरकार कार्यवाही करे ।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस संबंध में माननीय सभापति जी को पत्र लिखा था कि वर्मा कमीशन की रिपोर्ट पर डिसकशन होना चाहिए और माननीय सभापति जी ने मुझ को भी इस संबंध में इजाजत दी है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि पिछले सत्र में भी सरकार ने यह चीज यहां स्वीकार की थी कि वर्मा कमीशन की रिपोर्ट जैसी अभी माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि कुछ अंश उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं और कुछ अंश स्वीकार नहीं किए हैं, आज जनमानस में यह शंका आती जा रही है । वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से यह बात जाहिर की गई है कि 4-10-1989 को केन्द्रीय सरकार की हाई पावर्ड कमेटी ने ऐसी अनुशंसा की थी कि हमारे नेता राजीव गांधी को एस. पी. जी. कवर दिया जाना जारी रखना चाहिए लेकिन एकाएक जनवरी, 1990 में केन्द्रीय सरकार ने एस. पी. जी. विदड्रा कर ली। इसके पीछे एक कारण यह बताया कि पी. जी. एक्ट उनको यह इजाजत नहीं देता । उस समय होना तो यह चाहिए था कि एस. पी. जी. एक्ट में संशोधन होना चाहिए था । यह भी एक बात कही गई है कि एस. पी. जी. की संख्या कमी है और इसके फार्मेशिबल रिपरकशन भी होंगे । ऐसी ऑब्जरवेशन वर्मा कमीशन की रिपोर्ट में है । इसलिए जब तक वर्मा कमीशन की रिपोर्ट पर इस सदन में विस्तार से चर्चा नहीं होती तब तक आम जनता के मन में जो शंका है और आम जनता शंका की परिधि में जिन लोगों को देखती है, उसका समाधान नहीं हो पाएगा । यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में 30 जनवरी, 1990 को वी. पी. सिंह की सरकार ने यह निर्णय लिया था, राजीव गांधी की सुरक्षा से एस. पी. जी. को विदड्रा किया गया था । यह भी निर्णय किया जाना बहुत जरूरी है। इस पर विस्तार से चर्चा किया जाना आवश्यक है कि 21 मई को राजीव गांधी की हत्या से ठीक एक दिन पहले 20 मई को गुप्तचर विभाग ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि राजीव गांधी को यदि एस. पी. जी. एक्ट के तहत एस. पी. जी. सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती तो उनकी सुरक्षा के खतरे को देखते हुए कम से कम एन. एस. जी. सुरक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक है । राजीव गांधी की हत्या से न केवल देश की अपूर्णीय क्षति हुई है बल्कि पूरे विश्व को हुई है । इसलिए आज की परिस्थिति में वर्मा कमीशन की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा किया जाना आवश्यक है ताकि पूरे देश की जनता को इस बात की जानकारी मिल सके कि आखिर वह कौन सी कमियां थीं, आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिनके रहते राजीव गांधी की हत्या हो गई । केन्द्र सरकार से मैं यह आश्वासन चाहूंगा । हर सत्र में सरकार आश्वासन देती है कि वर्मा कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा होगी, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वर्मा कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं हो रही है । मैं सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि क्या इसी सेशन में, इसी सत्र में सरकार वर्मा कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार यदि रिपोर्ट पर चर्चा करेगी तो आम जनमानस के मन में जो शंकाएं पैदा हुई हैं उन शंकाओं का समाधान हो सकेगा । **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रजी) : श्री राम नरेश यादव । **(व्यवधान)**

श्रीमती सत्या बहिन : राजीव गांधी की हत्या के पीछे जो षड्यंत्र था, जो लोग हैं उनको बेनकाब किया जाना चाहिए **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Shrimati Satya Bahin, please take your seat.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के लिए वर्मा कमीशन की नियुक्ति हुई थी **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : It is a very important and a sensitive matter which concerns the

assassination of the former Prime Minister. I will permit other hon. Members also. It is zero hour. Don't worry. It is a very emotional and a sentimental issue. That is why I am permitting them.

श्री दयानंद सहाय (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय निर्धारित किया जाना चाहिए । इस विषय पर पूरी बहस होनी चाहिए । सब लोगों को बोलना है । इसलिए कि किसकी सरकार के समय में राजीव जी मारे गए थे और कौन वहां अफसर थे, इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, वर्मा कमीशन ने जो रिपोर्ट दी वह सरकार ने सदन के सभापटल पर रखी **(व्यवधान)** कुछ अंशों को सरकार ने स्वीकार किया और कुछ अंशों पर सरकार ने यह भी कहा कि सरकार कार्यवाही कर रही है । मैं जानना चाहता हूं कि आज की स्थिति में देश के अन्दर इस रिपोर्ट के आने के बाद यह शंका पैदा हो रही है कि क्या सचमुच उस समय की सरकार जिसके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार के समय में राजीव गांधी जी की सुरक्षा की जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी वह नहीं की जा सकी । उनकी हत्या हुई । इसलिए इस संबंध में सरकार से मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस संबंध में रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्यवाही की है । दूसरा प्रश्न यह भी है **(व्यवधान)** इस रिपोर्ट पर . . . **(व्यवधान)** चर्चा भी होनी चाहिए ताकि . . . **(व्यवधान)** तथ्य देश के जनता के सामने आएं, सदन के सामने आएं और सारे देश के लोग जान सकें कि किन परिस्थितियों में वी. पी. सिंह की सरकार ने राजीव गांधी जी की हत्या होने के लिए अवसर प्रदान किया . . . **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Mr. Shiv Shanker, please.

SHRI P. SHIV SHANKER : Mr. Vice-Chairman, Sir, since I am only associating myself, I do not propose to make a long statement. But what I would like to submit is that the conclusions that have been arrived at by the Verma Commission have far-reaching consequences. The House and the nation would certainly be interested to know as to what action has been taken in pursuance of the conclusions that have been arrived at by the Verma Commission. Of course, a few questions have been raised by Mr. Ahluwalia. I would not like to go into those questions at this stage. But what is necessary is, everyone of us is interested in the entire report and, therefore, there should be a discussion on the whole report.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra) : Sir, I also support this. (*Interruptions*)

SHRI P. SHIV SHANKER : Many of us would like to raise a large number of questions on the basis of the conclusions that have been arrived at by the Verma Commission. Therefore, it is better that a day is fixed and we discuss the whole thing.

SHRI S. B. CHAVAN : Sir, may I say something ?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Yes, Mr. Chavan please.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan) : Sir, before he responds, I should be given an opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : He has taken the floor. Let him speak. I will give you a chance. (*Interruptions*)

SHRI S. B. CHAVAN : Sir, let there be no misunderstanding. That is why I would like to clarify at the initial stage itself. Government is not opposed to any discussion on this. When it has been laid on the Table of the House together with the action taken report, they have a right to discuss it. Now, in the Business Advisory Committee, we can fix a day and then, certainly, we can discuss it. The only point is that there is going to be a slight modification on the action taken which we had submitted to the House. I hope to make a statement on this, may be, day-after-tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Mufti Sayeed please. (*Interruptions*)

श्री विठ्ठलराव माधवराव गाधव : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं । मैं सिर्फ एक सेन्टेंस में समाप्त कर दूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : आप कहें ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : पिछले सत्र के दौरान भी यह मसला उठा था और सरकार ने हमको ऐसा आश्वस्त किया था कि इस पर चर्चा जरूर होगी, बहस होगी। हम जानना चाहते हैं कि यह सत्र समाप्त होने के पहले इस वर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा होने वाली है या नहीं । यह जानना चाहते हैं . . . **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : The Home Minister has already said that the matter is to be decided by the Business Advisory Committee. It will decide. Mufti Sayeed please. *(Interruptions)*

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : बहुत इम्पारटेन्ट प्वाइन्ट्स रेज किए गए हैं उसके बारे में जानना चाहते । गृह मंत्री जी इस पर स्टेटमेंट दें । गृह मंत्री जी सत्र में डिसकशन हो . . . **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : He has clearly said that the Business Advisory Committee is entitled to take any decision. The Government has no hesitation to have a discussion on the report.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : हम आश्वासन चाहेंगे कि इसी सत्र में चर्चा होनी चाहिए । उपसभाध्यक्ष महोदय इसी सत्र में डिसकशन हो . . . **(व्यवधान)** अन्यथा फिर आगे जाएगा । हम चाहते हैं कि इसी सत्र में चर्चा होनी चाहिए ।

श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद (उत्तर प्रदेश) : मेरा सबमिशन यह है कि जो वर्मा कमीशन रिपोर्ट है वह बहुत ही कम्प्रीहेंसिव है डिटेल में है । जिन हालात में भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई है उसमें वे पूरे तरीके से डिटेल में जा चुके हैं । एक तो उनका थ्रेट परसेप्शन था ही, खासकर तमिलनाडु में एल. टी. टी. ई. का जो रोल रहा है बल्कि सरकार को पहले भी यह इत्तिला मिली थी कि उनको खतरा है । इस बारे में मैंने भी उनको, परसनली राजीव जी को, जब मैं होम मिनिस्टर था, दो-तीन चिट्ठियां लिखी थीं। जहां तक एस. पी. जी. का सवाल है उस वक्त के कानून के मुताबिक सिर्फ प्राईम मिनिस्टर को इन्टाइटिलमेंट था एस. पी. जी. रखने का लेकिन इसका मतलब वह नहीं है । एस. पी. जी. को विदड्रा करके उनकी सिक्योरिटी के बारे में जितनी जरूरियात है उनको पूरा किया गया था लेकिन . . . **(व्यवधान)**

شری مفتی محمد سعید "اتر پردیش" ایسا سبمیشن یہ ہے کہ جو ورما کمیشن رپورٹ ہے وہ بہت ہی کمپری ہنسیو ہے۔ ڈیٹیل میں ہے۔ جن حالات میں بھوت پورو پردھان منتری راجیو جی کی ہتیا ہوئی ہے اس میں وہ پوری طریقہ سے ڈیٹیل میں جا چکے ہیں ایک تو ان کا تھریٹ پرسیپشن تھا ہی نا کہ تامل ناڈو میں ایل۔ ٹی۔ ٹی۔ ای کا جو رول رہا ہے بلکہ سرکار کو پہلے بھی یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کو خطرہ ہے۔ اس بارے میں میں نے بھی ان کو پرسنلی راجیو جی کو جب میں ہوم منسٹر تھا۔ دو تین چٹھیاں لکھی تھیں۔ جہاں تک ایس۔ پی۔ جی۔ کا سوال ہے اس وقت کے قانون کے مطابق صرف پرائم منسٹر کو انٹائٹلمینٹ تھا ایس پی جی رکھنے کا لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے۔ ایس۔ پی۔ جی کو وڈرا کر کے ان کی سیکیورٹی کے بارے میں جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا گیا تھا لیکن ... "مداخلت" . . .

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : What action have you taken ?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Let him complete. They have heard you patiently. Please take your seat, Mr. Narayanasamy.

श्री शंकर दयाल सिंह : पूरी बात सुनिए . . . **(व्यवधान)**

श्री एस. एस. अहलुवालिया : उन्होंने एस. पी. जी. विदड्रा कर ली और . . . **(व्यवधान)**

SHRI V. NARAYANASAMY : You were the Home Minister then. What action have you taken ?

MUFTI MOHD. SAYEED : You are the ruling party now. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Mr. Narayanasamy, please take your seat. (*Interruptions*).

श्री पी. शिव शंकर : मुफ्ती साहब, आपको बोलने का अधिकार है . . . **(व्यवधान)** एक मिनट, मि. वाइस चेयरमैन . . . **(व्यवधान)** मुफ्ती साहब को पूरा अधिकार है कि वह जो चाहे कहें, लेकिन प्वायंट यह है कि वह जो कह रहे हैं वह वर्मा कमीशन की फाइंडिंग्ज के खिलाफ कह रहे हैं . . . **(व्यवधान)** तो पूरा इस पर डिसकशन हो जाए तो अच्छा रहेगा ।

श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद : देखिए न, एस. पी. जी. विदड्रा करके जब इस पर डिबेट हो जाए, हमको कह दें ।

†شری مفتی محمد سعید : دیکھئے نہ ایس پی جی وڈرا کرکے جب اس پر ڈبیٹ ہو جائے ہم کو کہہ دیں ۔

We had provided sufficient security.

उनका असैसिनेशन तमिलनाडु में हुआ और उस वक्त सरकार . . . **(व्यवधान)**

†ان کا اسیسینیشن تامل ناڈو میں ہوا اور اس وقت سرکار . . . مداخلت ۔

SHRI P. SHIV SHANKER : That Verma Commission has accepted.

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद : उस वक्त सरकार सैन्टर की थी, वहां गवर्नर का रूल था । फर्स्ट जो फाइंडिंग है वह गवर्नर के खिलाफ है ।

†شری مفتی محمد سعید : اس وقت سرکار سنٹر کی تھی وہاں گورنر کا رول تھا فرسٹ جو فائنڈنگ ہے وہ گورنر کے خلاف ہے

Governor continues to be there.

क्या सीरियस नोटिस लिया सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने ?

کیا سیریس نوٹس لیا سنٹرل گورنمنٹ نے ۔

Mainly he is the head of the administration, he was the head of the administration, he was responsible for Rajiv Gandhi's security.

तो मेरा यह कहना है कि जिस वक्त इस पर डिबेट हो जाए,

†تو میرا یہ کہنا ہے کہ جس وقت اس پر ڈبیٹ ہو جائے ۔

We must have a full debate on this.

और किसी को कोई इस पर एतराज नहीं है ।

†اور کسی کو کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, you have agreed that you will call me also.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : One point from one Member of the party. (*Interruptions*). Your subject will come if your name is there.

SHRI KAMAL MORARKA : Sir, this issue was raised by many of us in the last session. The Verma Commission report was placed in the House in December 1992 but its copies were not made available to the Members. We had complained about this in the last session.

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

The issue has been raised by Shri Ahluwalia. We fully agree with him that this is a serious matter. The report has come before the House and the House must discuss the report. Otherwise, there is no use in appointing a Commission and getting a report if we are not going to discuss it. I have only one submission to make. Before starting a discussion on the report, Shri Ahluwalia has referred to some selected paras and made comments on them. It is all right, he is drawing the attention of the House, but I would have been happy if he had avoided trying to insinuate certain Ministers or the Prime Minister who were in office. This would mean we are starting the debate right now and I have got just now three points which can counter what he has said. But I do not think that is a good practice. When we have agreed that we will discuss the report, we should wait till the discussion is taken up in the House. In the final part he started saying, "the Prime Minister at that time ... the Home Minister at that time... action should be taken...". The moment you talk like that, I painfully submit that there was a Home Minister when Mrs. Gandhi was assassinated. He should also be included for action being taken. Let us take action against all the Ministers who were there. The person who was the Home Minister when Mrs. Gandhi was assassinated, is now the Prime Minister of the country. So, let us not extend this debate in this indisciplined manner. We are a House of Elders. There is the report before the House. The report contains findings on one of the biggest tragedies in the country and you go about it, as if it is a partisan matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Please conclude. (*Interruptions*). Now please conclude.

SHRI KAMAL MORARKA : I support that we should have a discussion in the House but we should not pre-empt that discussion by charges and counter-charges.

RE. DEMAND OF HOLDING EXAMINATIONS IN INDIAN LANGUAGES BY UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं के संबंध में परीक्षाएं ली जाती हैं और उनमें अंग्रेजी की अनिवार्यता है और साथ-साथ जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें परीक्षाएं नहीं ली जाती हैं । उसके बारे में भारतीय भाषा संरचना संगठन की ओर से करीब पांच वर्ष से यह आन्दोलन वहां पर चल रहा था कि प्रत्येक स्तर से एक तो अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता वहां पर समाप्त की जाए और जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं वहां पर उसमें परीक्षार्थी वहां परीक्षा दे सकें । उनकी प्रमुख मांग यह थी कि संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाएं भारतीय भाषाओं के माध्यम से की जानी चाहिएं और प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए ।

मान्यवर, 10 दिसम्बर, 1988 को भारतीय भाषा संरचना संगठन के अनशनकारियों का अनशन भंग कराते समय सरकार ने दो आश्वासन दिए । पहला, पांचों प्रौद्योगिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा भारतीय भाषाओं में होगी और दूसरे, अगले वर्ष से इनकी पढ़ाई के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाएं चुनने की छूट होगी । इन दोनों आश्वासनों में से पहला तो लागू कर दिया गया है, लेकिन जो दूसरा प्रावधान है, उसको आज तक लागू नहीं किया जा सका है जबकि इसके संबंध में संसद के दोनों सदनों में संकल्प पारित किया गया है । महोदय, आज से 10–12 दिन पहले वे सत्याग्रही जो संघ लोक सेवा आयोग के आफिस पर धरना दे रहे थे, उनको वहां से हटा दिया गया है । इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि संघ लोक सेवा आयोग की इन परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए और जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, उनमें जो परीक्षार्थी परीक्षा देना चाहें उनको अनुमति दी जाए । माननीय गृह मंत्री जी सदन में मौजूद हैं और यह मामला उनके विभाग से संबंधित है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वे इस विषय पर रोशनी डालें ।